	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 17, मंगलवार, *शाके* 1945-अगस्त 08, 2023 *Sravana 17, Tuesday , Saka 1945- August 08, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 03, 2023

संख्या प.4(24) कृषि/ग्रुप-2/2019 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग जयपुर से जारी अधिसूचना दिनांक 30.03.1967 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (अनाज) की स्थापना की गई थी।

अब कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (अनाज) द्वारा मण्डी क्षेत्र के ग्राम जमवारामगढ में गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम जमवारामगढ में गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाए निम्न प्रकार से होंगीः-

पूर्व में - पेट्रोल पम्प आंधी रोड़ तक।

पश्चिम में - बादियावाला मोड़ जयपुर रोड़ तक।

उत्तर में- बाबाजीयों की बगीची नीम्बी रोड़ तक।

एवं दक्षिण में - चौमका की ढाणी तक।

गौण मण्डी, जमवारामगढ की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकाने एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

2630

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।